**कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,**
**सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,**
**वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001**

**सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14422/1813** **दिनांकः–** 21.07.14

**सेवा में,**

**सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,**
**बिहार सरकार, पटना**

महाशय,

नगर पंचायत, रामनगर के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 461/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

21.7.14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

# नगर पंचायत, रामनगर
## अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.- 461/13-14
## (अवधि- 2011-12 से 12-13 तक)

### 1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, रामनगर के वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.06.13 से 22.06.2013 की अवधि में किया गया।

### 2. प्रशासन

लेखापरीक्षा अवधि में नगर परिषद का प्रशासन निम्नलिखित था :-

| क्र0सं0 | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य पार्षद | |
| | श्रीमती मुन्नी नेशा | 01.04.11 से 13.04.12 |
| | रिक्त | 14.04.12 से 08.06.12 |
| | श्रीमती सावित्री देवी | 09.06.12 से 31.03.13 |
| 2 | उप मुख्य पार्षद | |
| | श्री विजेन्द्र कुमार चौबे | 01.04.11 से 13.04.12 |
| | रिक्त | 14.04.12 से 08.06.12 |
| | श्रीमती ज्याउन नेशा | 09.06.12 से 31.03.13 |
| 3 | कार्यपालक पदाधिकारी | |
| | श्री अजय कुमार | 01.04.11 से 17.04.11 |
| | श्री जवाहरलाल सिंह | 18.04.11 से 19.07.11 |
| | श्री अजय कुमार | 20.07.11 से 31.03.13 |

### 3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट- I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट- II में दर्शाया गया है।

### 4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण की स्थिति निम्नवत है:-

| क्र0सं0 | अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 | अवधि | लंबित कंडिकाएँ |
|---|---|---|---|
| (i) | 51/1995-96 | 1986-87 से 1994-95 | 36 |
| (ii) | 57/2001-02 | 1995-96 से 2000-01 | 46 |
| (iii) | 140/2008-09 | 2001-02 से 2006-07 | 44 |
| (iv) | 09/2012-13 | 2007-08 से 2010-11 | 32 |
| | | **कुल योग-** | **158** |

नगर पंचायत के द्वारा बताया गया कि अनुपालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण पतिवेदन का अनुपालन शीघ्र करवाया जाय और अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजा जाय।

**5. आंतरिक अंकेक्षण**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 अथवा इसके नियमों में आतंरिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 (नियम 20, 64, 73(क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आतंरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया गया उसके द्वारा किया जायगा। इस प्रकार की जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमित्ता को दूर करने हेतु की गई है।

नगर पंचायत रामनगर द्वारा बताया गया कि अभी आंतरिक अंकेक्षण नहीं किया जा रहा है। सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

**6. लेखापरीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ**

| क्र0सं0 | कंडिका का सार | कंडिका सं0 | राशि() |
|---|---|---|---|
| 1 | कम जमा /नहीं जमा। | 13. | 215610 |
| 2 | हरिनगर सुगरमिल पर होल्डिंग टैक्स की भारी बकाया राशि | 15. | 1093144 |
| 3 | अधिष्ठापित मोबाइल टावरों के भुस्वामी से व्यावसायिक कर की वसूली नहीं | 16. | 34159 |
| 4 | सरकारी /अर्द्धसरकारी भवनो पर बकाया कर | 17. | 713932 |
| 5 | शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर जमा नहीं | 18 | 411917 |
| 6 | खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर की वसूली नहीं: | 19. | 86200 |
| 7 | संचार (मोबाईल) टावर का अपंजीकृत रहना एवं पंजीकरण शुल्क बकाया रहना | 20 | 918000 |
| 8 | सैरातो की बन्दोबस्ती में अनियमितता, बंदोवस्ती की | 21. | 5336510 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | राशि जमा नहीं : | | |
| 9 | मैचिंग ग्रांट मद से वर्ष 2011–12 में ली गई योजना में कार्य का ससमय निष्पादन न होने से वसूलनीय दण्ड की राशि की कटौती नहीं | 29. | 70740 |

**7. रोकड़बही की त्रृटियाँ–**

क रोकड़बही में आय–व्यय का वर्गीकरण नहीं पाया गया।

ख आय व्यय का पूर्ण विवरण नहीं पाया गया।

ग माह के अंत में रोकड़बही के शेष को कोषागार /बैंक पासबुक के शेष से मिलान नहीं किया गया।

घ वर्षवार आय और व्यय का सार तैयार नहीं किया गया।

**8. वित्तीय अधिदृश्य**

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा संधारित सामान्य रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का आय–व्यय विवरणी निम्न प्रकार है:–

| क0सं0 | विवरण | 2011–12 | 2012–13 |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष | 36613154.23 | 32170422.23 |
| 2 | प्राप्ति | | |
| (क) | अनुदान | 14417211 | 21973475 |
| (ख) | अन्य | 293270 | 30249 |
| (ग) | ब्याज | 872540 | 650250 |
| (घ) | स्वयं स्त्रोत | 4139416 | 1374309 |
| (ड.) | कुल प्राप्ति | 19722437 | 24028283 |
| 3 | कुल योग | 56335591.23 | 56198705.23 |
| 4 | व्यय | | |
| (क) | योजना | 20850920 | 22474690 |
| (ख) | अन्य | 238936 | 94659 |
| (ग) | स्थापना | 3075313 | 2068852 |
| (घ) | कुल व्यय | 24165169 | 24638201 |
| 5 | अंतशेष | 32170422.23 | 31560504.23 |
| रोकड़बही के अनुसार अंतशेष | | | 31502534.23 |
| जोड़ रोकड़ बही में दोहरा प्रविष्टि (पृष्ठ सं0 723 दिनांक 30.11.11) | | | 100000.00 |
| | | | 31602534.23 |
| घटाव प्राप्ति में अधिक जोड़ (पृष्ठ सं0 696 | | | (–)42030.00 |

| | |
|---|---|
| दिनांक 29.09.11) | |
| | 31560504.23 |

नगर पंचायत द्वारा संधारित विभिन्न बैंको में खाताओं के 31.03.2013 का अवशेष निम्न प्रकार था :

| क0 सं0 | खाता सं0 | बैक का नमा | 31.03.13 का अवशेष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2359778228 | सेंट्रल बैंक नौसाहा | 92493 |
| 2 | 2359801544 | सेंट्रल बैंक नौसाहा | 1553549 |
| 3 | 11428247147 | भा0स्टे0 बैंक रामनगर | 438659 |
| 4 | 11428237138 | भा0स्टे0 बैंक रामनगर | 3953796 |
| 5 | 311607314114 | भा0स्टे0 बैंक भावल | 4677295 |
| 6 | 1306 | चम्पारण केन्द्रीय ग्रामीण बैंक रामनगर | 195246 |
| 7 | I-338 | उ0बिहार ग्रामीण बैंक रामनगर | 1691265 |
| 8 | PL A/c | उप कोषागार बगहा | 30992691.23 |
| | | योग- | **43594994.23** |

अंतर : रू0 12034490.23

अंतर की राशि का समाधान विवरण तैयार कर अंकेक्षण में दिखाया जाय।

**अंकेक्षण टिप्पणीः-**

(i) सामान्य रोकड़बही में जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया।

(ii) सितम्बर 2012 से मार्च 2013 तक प्रत्येक माह के अंत में रोकड़बही एवं बैंक खाते का अवशेष का समाधान विवरण नहीं पाया गया।

(iii) नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक मद की सहायक रोकड़पंजी का संधारण नही किया गया था, जबकि बी.आर.जी0एफ0 $12^{th}$, $13^{th}$ आदि अनुदान की राशि का पृथक रोकड़पंजी का संधारण किए जाने का निर्देश प्राप्त था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि रोकड़बही की त्रुटियों का निराकरण कर लिया जाएगा एवं रोकड़बही एवं बैंक पासबुक में पायी गयी अंतर की राशि का समाधान विवरण तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा।

## 9. वार्षिक लेखा

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 82 से 94 के अनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखा का संधारण किया जाना है साथ ही मासिक एवं त्रयमासिक लेखा का संधारण किया जाना है। परन्तु इसे तैयार नहीं किया गया।

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा बताया गया कि कर्मियों की काफी कमी है। कर्मियों के कम होने के कारण ससमय कार्य नहीं हो पा रहा है। कर्मी की अनुबंध पर नियुक्ति होते ही कार्य ससमय किया जायेगा।

## 10. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 एवं 84 के तहत नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट (आय- व्यय का प्राक्कलन) तैयार करेगा जिसे मुख्य पार्षद 15 फरवरी को या यथासंभव शीघ्र नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। नगरपालिका बजट प्राक्कलन एवं सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो, पर विचार कर 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। इस अंगीकृत बजट को नगर पंचायत के मामले में क्षेत्रिय उपनिदेशक के पास प्रस्तुत करेगी। जिसे राज्य सरकार आर्थिक सहायता से संबंधित उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के 31 मार्च को नगरपालिका/नगर पंचायत को लौटा देगी।

परन्तु नगर पंचायत के बजट प्राक्कलन में निम्न विसंगतियाँ पायी गयी।

1. बजट प्राक्कलन समयानुसार तैयार नहीं किया गया था तथा चार माह के विलंब से अनुमोदन किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

| | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|
| अनुमोदन की तिथि | 30.06.11 | 30.10.12 |
| सरकार को प्रेषण की तिथि | 13.10.11 | ,, |

2. वर्ष 2012-13 का बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को कब प्रेषित किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

3. बजट प्राक्कलन में अनुमानित प्राप्ति (स्वयं के स्रोत से एवं राजस्व से) एवं व्यय में वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय में अनुमान्य सीमा 15% से ज्यादा का अंतर पाया गया।

| क्र0सं0 | विवरण | 2011–12 | | | 2012–13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमानित राशि | वास्तविक राशि | अंतर | अनुमानित राशि | वास्तविक राशि | अंतर |
| 1 | होल्डिंग टैक्स वसूली | 1000000 | 325600 | 67.44 | 2000000 | 742446 | 62.87 |
| 2 | निबंधन एवं लाईसेंस शुल्क | 82000 | 10250 | 87.50 | 114000 | 6500 | 94.29 |

4. बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय के अवलोकन से पता चलता है की बजट प्राक्कलन में लिए गये कई मद मे जैसे सरकारी ऋण की वापसी, एकादश वित्त आयोग की लंबित योजना पूर्ण करने हेतु, प्रशासनिक भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण योजना पर साल दर साल कोई व्यय नहीं किया गया परन्तु बजट प्राक्कलन में बजट में बार– बार लिया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि जमीनी विवाद के कारण प्रशासनिक भवन की राशि व्यय नहीं हो पायी है तथा पूर्व प्राक्कलन दर भी पुराना हो चुका है। इस संबंध में सरकार से पत्राचार किया गया है। अन्य योजनाओं को नियमानुसार कराया जा रहा है।

**11. अनुदान**

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा संधारित रोकडबही के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान विभिन्न मदों में कुल 39471996 रू0 अनुदान की प्राप्ति हुई (पूर्ण विवरण संलग्न) जिसका वर्षवार योग निम्नलिखित है:–

| वर्ष | अनुदान की राशि |
|---|---|
| 2011–12 | 11764211 |
| 2012–13 | 27707785 |
| **कुल–** | **39471996** |

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत प्राप्त आवंटन से संबंधित अनुदान पंजी तथा अनुदान विनियोग पंजी जिसमें पूर्व का शेष, वर्ष की प्राप्ति, वर्ष का व्यय तथा 31.03.2013 का शेष दर्ज हो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिसके नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायत को प्राप्त सभी अनुदानों को इस पंजी में दर्ज नहीं किया गया। कुछ अनुदान जिसकी प्रविष्टि पंजी में की गई थी, की जांच में पाया गया कि कुल 33343361 रू0 31.03.2013 तक शेष पड़ी हुई है जिसका विवरण संलग्न है। शेष राशि में देखा गया कि नागरिक सुख सुविधा के तहत पोखर घाट पार्क इत्यादि, प्रशासनिक भवन में वर्षो से राशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। अनुदान पंजी की जांच के कम में पाया गया कि

वेतन अनुदान में 31.03.13 को 39418 रू0 दर्ज पाया गया, परन्तु वास्तविक में 52974 है।

(विवरणी परिशिष्ट– III पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि प्रशासनिक भवन का प्रस्ताव विवादित है क्योंकि नगर पंचायत को भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। पोखर घाट के सौंदर्यीकरण की निविदा पूर्व में निकाली गयी थी परन्तु संवेदक द्वारा कार्य नहीं कराया गया। उसकी जमानत राशि जब्त कर ली गयी है। पुनः निविदा निकालने की प्रक्रिया में है।

**12. 13वीं वित्त आयोग**

13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पंचायत, रामनगर को निम्नलिखित कुल 7030000 रू0 अनुदान की प्राप्ति हुई।

| क्र0 सं0 | रोकड़बही की तिथि | स्वीकृति पत्र/दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.11 | सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 4713 दिनांक 17.08.10 | 1500000 |
| 2 | 27.03.12 | सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 24 दिनांक 23.08.11 | 200000 |
| 3 | 27.03.12 | सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 21 दिनांक 04.08.11 | 1600000 |
| 4 | 18.07.12 | सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 01 दिनांक 03.04.12 | 1183000 |
| 5 | 15.09.12 | सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 19 दिनांक 19.07.12 | 1931000 |
| 6 | 31.01.12 | सरकार के विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पत्रांक 36 दिनांक 31.08.12 | 616000 |
| | | कुल– | 7030000 |

प्राप्त अनुदान की राशि को निम्नलिखित मदों में खर्च किया जाना है :

(i) 50% राशि का व्यय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एवं शेष 50% राशि का व्यय निम्नवत् होना है।

(ii) जलापूर्ति एवं साफ सफाई

(iii) बिजली का प्रबंध

(iv) बिजली बिल भुगतान हेतु

(v) रैन बसेरा तथा वृधाश्रम का निर्माण

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में दिनांक 22.06.12 को इस मद के अंतर्गत कुल 26 योजना स्वीकृत की गई तथा

1415

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा योजना के अंतर्गत 1260526 रू0 का व्यय उपरोक्त दिशा निर्देश के विपरीत किया गया। 31.03.13 को इस मद में कुल 5769474 रू0 शेष पड़ी हुई थी। शेष राशि नगर पंचायत द्वारा व्यय नहीं होने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। चुकि अनुदान स्वीकृति पत्र के कंडिका 4 के अनुसार अनुदान की राशि जिस वर्ष के लिए कर्नाकित था का व्यय उसी वर्ष में कर लेना है तथा व्यय का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (ले0एवं ह0) को भेजा जाना था।

नगर पंचायत द्वारा ईटकरण कार्य पी.सी.सी. कार्य स्लेब निर्माण आदि सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्ध किया गया। दिनांक 31.03.12 को रामनगर पंचायत को रू 1827000 की राशि सरकार द्वारा विमुक्त की गयी परन्तु राशि नगर पंचायत निधि में नहीं आई।

इस प्रकार तेरहवीं वित आयोग निधि से प्राप्त राशि का अन्य कार्यो में उपयोग कर सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

बिहार म्युनिसिपल एक्ट की धारा 45 पर विहित सबसे महत्वूपर्ण कार्य जैसे जलापूर्ति एवं जल निकासी, जल जमाव से मुक्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सड़कों की रोशनी आदि पर 13वीं वित्त से खर्च नहीं करना नगर पंचायत की कार्यशैली पर बिल्कुल नकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण आपत्ति का कोई जबाव नहीं दिया गया।

**13. कम जमा /नहीं जमा**

गृहकर रसीद एवं विवध रसीद, बैंक पासबुक, रोकड़बही की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा वसूल की गयी राशि में से रू 215610 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। फिर भी लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में रू 68970 नगर पंचायत निधि में जमा करवाई गयी। विवरण इस प्रकार हैः-

| क्रम सं0 | वसूलकर्ता का नाम | नहीं जमा राशि | अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में जमा राशि | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री कृष्ण कुमार नेपाली, कर संग्राहक | 58436 | 58436 | -- |
| 2 | श्री शशिन्द्र श्रेष्ठ, कर दरोगा | 109489 | 10534 | 98955 |
| 3 | श्री इन्द्रदेव यादव | 47685 | -- | 47685 |
| | कुल | 215610 | 68970 | 146640 |

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट- IV पर)

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि सभी राशि बैंक में जमा कर दी गयी है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर के साथ मात्र रू 68970 के जमा करने के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया गया। शेष राशि के जमा होने का प्रमाण नहीं दिया गया।

अतः इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक रू 146640 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

**14. जमा राशि की प्रविष्टि रोकड़पाल की रोकड़बही में नहीं**

विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी गृह कर की राशि नगर पंचायत निधि में जमा किया गया था। 31.03.13 के बाद रोकड़पाल रोकड़बही का संधारण नहीं होने के कारण उसका मिलान रोकड़बही से नहीं किया जा सका। विवरण इस प्रकर है:-

| क्रम सं0 | रसीद सं0 | तिथि | राशि | जमा करने की तिथि | कर-संग्राहक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24856 से 24900 तथा 24901 से 24907 | 22.05.12 से 11.06.12 | 6528 | 12.06.12 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 2 | 26901 से 27000 तथा 27101 से 27133 | 15.03.13 से 31.03.13 | 40308 | 06.04.13 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 3 | 27134 से 27180 | 03.04.13 से 04.05.13 | 10856 | 06.05.13 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 4 | 27181 से 27200 तथा 27401 से 27417 | 07.05.13 से 28.05.13 | 12031 | 30.05.13 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 5 | 26766 से 26800 | 05.0413 से 06.04.13 | 44074 | 19.06.13 | श्री कृष्ण कुमार सिंह नेपाली |
| 6 | 27201 से 27287 | 08.04.13 से 15.06.13 | 14362 | 19.06.13 | श्री कृष्ण कुमार सिंह नेपाली |

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि रोकड़बही में प्रविष्टी कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

**15. हरिनगर सुगर मिल पर होल्डिंग टैक्स की भारी बकाया राशि रू 1093144**

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार, हरिनगर सुगर मिल पर 2009-10 से 2012-13 तक होल्डिंग टैक्स के मद में कुल 10931.44 बकाया पाया गया। विवरण से स्पष्ट है कि सुगर मिल द्वारा वर्ष 2009-10 से होल्डिंग टैक्स की राशि जमा ही नहीं की गयी। इससे नगर पंचायत को भारी रजस्व हानि हो रही है।

413

अंकेक्षण आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि हरिनगर सुगर मिल पर होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि के भुगतान हेतु नोटिस जारी किया गया है। राशि जमा होने पर नगर पंचायत के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

अतः रू 1093144 वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाय एवं जमा को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

**16. अधिष्ठापित मोबाइल टावरों के भुस्वामी से व्यावसायिक कर की वसूली नहीं रू 34159**

नगर पंचायत के बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक 26.06.2012 के प्रस्ताव 4(घ) एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 में लिए गये निर्णय के आलोक में नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत अधिष्ठापित मोबाइल टावरों के भु-स्वामियों से व्यावसायिक कर वसूली किया जाना था।

संचिका में संलग्न विवरणी के अनुसार 2012 तक भु-स्वामियों पर कुल 34159/- रू0 व्यवसायिक कर बकाया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि बकाए के भुगतान हेतु बकायदारों पर नोटिस निर्गत किया गया है।

अतः रू 34159 संबंधित भूस्वामियों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाय।

(विवरणी परिशिष्ट- V पर)

**17. सरकारी /अर्द्धसरकारी भवनो पर बकाया कर रू 0713932/-**

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित विभिन्न सरकारी भवनों एवं अर्द्धसरकारी भवनो पर कुल रू 0713932/- होल्डिंग टैक्स बकाया था। बकाया राशि अविलम्ब वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाय एवं जमा किए गए राशि को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर बकाए राशि के भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा है।

**18. शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर जमा नहीं रू0 411917**

नगर पंचायत, रामनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरण के अनुसार वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के मद में कुल रू0 457686/- की वसूली की गयी परन्तु उसमे से 10% वसूली प्रभार काटकर शेष राशि को राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी। अतः रू0 411917/- राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा की जाय।

अंकेक्षण आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि उक्त राशि शीघ्र ही संबंधित शीर्ष में जमा करा दी जाएगी। उपर्युक्त राशि को जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

**19. खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर की वसूली नहीं: रू 86200**

नगर पंचायत द्वारा खतरनाक एवं भयावह व्यापार से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। फिर भी इससे संबंधित विवरणिका के अनुसार वर्ष

2011–12 मे रू0 44400/– के विरूद्ध मात्र रू0 2600/– की वसूली की गयी जबकि 2012–13 में कोई वसूली नहीं की गयी।

वर्ष 2012–13 के अंत तक रू0 86,200/– खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर के मद में वसूली हेतु लम्बित था। लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि बकायदारों पर नोटिस निर्गत कर कार्रवाई की जा रही है।

इससे स्पष्ट है कि कर वसूली में नगर पंचायत द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। अतः बकायदारों से अविलम्ब रू 86200 की वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

**20. संचार (मोबाईल) टावर का अपंजीकृत रहना एवं रू0 918000/– का शुल्क बकाया रहना।**

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं सम्बन्धित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत मं पंजीकरण शुल्क रू0 30000/– प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क 8000/– प्रतिटावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के उप वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। मोबाईल टावर की संचिका में संलग्न विवरणी के अनुसार नगर पंचायत, रामनगर क्षेत्रान्तर्गत 17 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे जिसमें सभी टावर अपंजीकृत थे। उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोवाईल टावरो पर रू0 918000/– शुल्क बकाया था।

(विवरणी परिशिष्ट– VI पर)

नियमावली दिनांक 05.10.2012 के अधिसूचित किया गया था, परन्तु लगभग 8 माह बीत जाने के बाद भी एक भी मोवाइल टावर के कम्पनी पर बकाया शुल्क जमा किये जाने संबंधित मांग पत्र नहीं जमा किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि सभी मोबाईल टावरों को बकाया राशि के भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा है। पंजी करण हेतु एयर टेल के द्वारा मो. 180000 रू. राशि बैंक ड्रफ्ट द्वारा जमा किया गया है। (कुल 6 टावर हेतु) जमा राशि अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा।

अतः मोबाइल टावर कम्पनियों से बकाया राशि रू 738000 वसूल की जाय। साथ ही एयर टेल कम्पनी द्वारा दी गयी बैंक ड्राफ्ट की राशि को नगर निधि कोष मे जमा करवाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक रू 180000 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

VII

**21. सैरातो की बन्दोबस्ती में अनियमितता, बंदोबस्ती की राशि जमा नहीं : रू0 5336510/–**

सैरातों की बन्दोबस्ती नगर पंचायत की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। सैरातों की बन्दोबस्ती नियमित रूप से एवं नियमानुकूल कर नगर पंचायत निधि को मजबूत बनाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 एवं 2013–14 के लिए विभिन्न सैरातो की बन्दोबस्ती की संचिका की नमूना जाँच में कई प्रकार की अनियमितताएँ पायी गयी जो निम्न प्रकार हैः–

(i) बन्दोबस्तीधारी द्वारा बन्दोबस्ती की पूरी राशि जमा नहीं करने के बावजूद उसे बन्दोबस्ती दी गयी जबकि बंदोबस्ती सूचना में शर्त था कि सफल डाक वक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर पुनः डाक की कार्यवाही की जाएगी या दूसरे क्रम पर रहने वाले डाक वक्ता को बंदोबस्ती देने हेतु नगर पंचायत स्वतंत्र होगा।
नगर पंचायत द्वारा बन्दोबस्तीधारी द्वारा एकमुश्त राशि जमा नही करने के बावजूद बन्दोबस्ती दी गयी।

(ii) बन्दोबस्तीधारी द्वारा बन्दोबस्ती की कुछ राशि ही जमा की गयी तथा शेष राशि दो किस्त में जमा करने का एकरारनामा तैयार किया गया परन्तु उसके द्वारा निर्धारित तिंथि तक शेष बकाया राशि जमा नहीं किया गया फिर भी बन्दोबस्ती को जारी रखा गया।

(iii) बन्दोबस्तीधारी द्वारा वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिए की गयी बन्दोबस्ती की राशि जमा करने की तिथि एवं शेष राशि का विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। फिर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एवं पंजी की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिए की गयी बंदोबस्ती में बंदोबस्तीधारी के यहाँ कुल रू 5336510 बकाया थी।

(विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

(iv) बिहार सरकार के पत्रांक 1920/रि.मू./सचिव/दिनांक 14.08.2002 सचिव–सह–आई.जी. पंजीयन के पत्र सं0 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार सैरातो की बन्दोबस्ती का एकरारनामा बन्दोबस्ती की राशि के 3% के स्टाम्प पेपर पर किया जाना है परन्तु नगर पंचायत, रामनगर द्वारा ऐसा नहीं किया गया। बन्दोबस्ती की राशि का 3% मुद्रांक शुल्क के रूप में बन्दोबस्तीधारी से वसूल नहीं की गयी। वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक की बन्दोबस्ती की कुल राशि रू0 8041950/– थी । फलतः मुद्रांक शुल्क के रूप में रू0 241259/– की राजस्व हानि हुई। बन्दोबस्ती की कुल राशि का 3% अर्थात रू0 241259/– संबंधित बन्दोबस्तीधारी से वसूल की जाय और सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करवायी जाय।

(v) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बन्दोबस्ती की अभिलेख में पाया गया कि श्री श्याम कुमार राउत के यहाँ पिछले वर्ष की बन्दोबस्ती की राशि बकाया रहने के बावजूद अगले वर्ष बन्दोबस्ती दे दी गयी।

(vi) वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक के सैरातों की बंदोबस्ती कुल रू 8041950 में की गयी थी जबकि बंदोबस्तीधारी से मात्र रू 2705440 ही वसूल की गयी। अतः बकाया कुल राशि रू0 5336510/– संबंधित बंदोबस्तीधारी से सूद सहित अविलम्ब वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा की जाय तथा अंकेक्षण में दिखाया जाय।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि :–

(1) मुद्रांक शुल्क वसूली के बारे में जानकारी नहीं थी इस राशि को वसूल करने की कार्यवाई किया जायेगा।

(2) बन्दोबस्ती की कुल बकाया राशि मो. 5336510 रू0 बन्दोबस्तीधारी से वसूलने हेतु कार्यवाई की जा रही है।

(3) पिछले बन्दोबस्ती की राशि लेकर ही आगे की बन्दोबस्ती भविष्य में दी जायेगी।

**22. श्रम उपकर की कटौती नहीं रू0 69755/–**

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्यो के कुल व्यय का एक प्रतिशत श्रम उपकर के मद में कटौती करने के पश्चात ही अभिकर्त्ता को भुगतान किया जाना चाहिए। परंतु नगर पंचायत, रामनगर द्वारा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कियान्वित विभिन्न योजनाओं में निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर के मद में कटौती किए बिना ही संवेदक को भुगतान कर दिया गया। विपत्रों से उपकर की कटौती नहीं किए जाने के फलस्वरूप उपकर की राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को नहीं भेजी गयी। संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

| क्रं0 सं0 | मद का नाम | कुल व्यय | 1% श्रम उपकर |
|---|---|---|---|
| 1 | नगर निधि | 1413019 | 14130.19 |
| 2 | 13वीं वित्त आयोग | 2068608 | 20686.48 |
| 3 | बी.आर.जी.एफ. | 2284961 | 22849.61 |
| 4 | मैचिंग ग्राण्ट | 428336 | 4283.36 |
| | **कुल–** | **6194924** | 61950 |

जवाब में बताया गया कि सभी संवेदक से राशि वसूलकर जमा कर दी जाएगी। अतः उपरवर्णित मदों में चलाई गई योजनाओं से संबंधित संवेदकों से निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर की वसूली कर कुल रू0 61950 सरकार के उचित शीर्ष में जमा करवाया जाय।

**23. परिमाण विपत्र की ड्राफ्ट राशि का बैक के द्वारा नगदी नहीं/जमा नहीं**

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत परिमाण विपत्र की ब्रिकी का रजिस्टर, जमा का चालान एवं बैंक पासबुक व बैंक विवरणी की नमूना जॉच में पाया गया कि दिनांक 04.01.11 को बिक्री किया गया परिमाण विपत्र की बिक्री से प्राप्त रू 169750 का बैंक ड्राफ्ट नगर पंचायत द्वारा बैंक में जमा नहीं किया गया। साथ ही अन्य तिथियों में परिमाण विपत्र

की बिकी से प्राप्त रू 391900 का बैंक ड्राफ्ट नगर पंचायत द्वारा दिनांक 18.11.11 से 06.04.13 की अवधि में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में खाता सं0 10092310100004034 में में जमा किया गया परन्तु बैंक द्वारा नगर पंचायत के खाते में नही डाली गयी जिससे नगर पंचायत उक्त राशि एवं उस राशि पर प्राप्त होनेवाले ब्याज की राशि से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि ड्राफ्ट की राशि का नकदीकरण हेतु संबंधित बैंक को नोटिस दिया गया था जिसके आलोक में अंकेक्षण अवधि में रू 217250 बैंक द्वारा नगर पंचायत के खाते में जमा करा दिया गया है। शेष हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः रू 169750 का बैंक ड्राफ्ट नगर पंचायत के खाते में जमा किया जाय तथा बैंक में पूर्व में जमा की गयी रू 391900 का जमा बैंक ड्राफ्ट की शेष राशि रू 174650 को नगर पंचायत के खाते में जमा करवाई जाय और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक रू 344400 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

(विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

**24. गृह कर रसीद /विविधकर अप्रस्तुत**

जाँच किये गये रसीद का मिलान भंडार पंजी से करने के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित गृह कर रसीद/विविध रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवरण इस प्रकार है:–

| क्रम सं0 | रसीद सं0 | निर्गत होने की तिथि | वसूलकर्ता का नमा |
|---|---|---|---|
| 1 | गृहकर 16701 से 16800 तक | 24.04.07 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 2 | 17101 से 17200 तक | 02.05.07 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 3 | 17301 से 17400 तक | 11.06.07 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 4 | 17401 से 17500 तक | 27.06.07 | श्री इन्द्रदेव यादव |
| 5 | 17501 से 17600 तक | 24.10.07 | श्री इन्द्रदेव यादव |
| 6 | 23301 से 23400 तक | 07.01.12 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 7 | 27301 से 27400 तक | 11.05.13 | श्री इन्द्रदेव यादव |
| 8 | 27401 से 27500 तक | 20.05.13 | श्री सुलेमान अंसारी |
| 9 | विविध रसीद 36001 से 36100 | 2.9.2009 | श्री शशिन्द्र श्रेष्ठ |

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि रसीद सं0 23301 से 23314 तक श्री अंसारी द्वारा वसूली गई है। तथा 23315 से 23400 तक श्री कृष्णकान्त द्वारा वसूली गई है तथा न0पं0 खाते में जमा किया हुआ है। 27401 से 27459 तक की राशि दिनांक 02.07.13 को राशि खाते में जमा किया गया है। उपरोक्त रसीद एवं

जमा का विवरण अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा। विविध रसीद अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। अतः उपर्युक्त रसीदों को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

**25. SJSRY योजनांतर्गत कार्यान्वित योजना में अनियमितताएँ**

वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ति शहरी रोजगार येाजना के तहत वर्षवार कार्यान्वित योजना का विवरण निम्न प्रकार हैः-

| वर्ष | ली गयी योजना | योजना पूर्ण | योजना अपूर्ण | योजना में व्यय | प्रा० राशि | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 3 | - | 3 | 232500/- | 299400/- | योजना का कार्यान्वयन विभागीय |

(विवरणी परिशिष्ट- IX पर)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में निकायों द्वारा विभागीय कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया गया था, योजना का कार्यान्वयन संवेदक द्वारा किया जाना था, जबकि इस योजना में कार्य विभागीय कार्य कराया गया था, जो अनियमित था। योजना की संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 12.05.2012 को योजना के पूर्ण होने के उपरान्त मापी पुस्तिका जॉंच हेतु सहायक अभियंता को दिया गया था, परन्तु लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मापी पुस्तिका संचिका में नहीं पाया गया।

संचिका में. टिप्पणी के अनुसार कार्य पूर्ण करा लिया गया था, तो संबंधित अभिकर्त्ता द्वारा योजना में प्रयुक्त किये गये सामग्री एक मास्टर रौल समर्पित नहीं करने का कारण नही बताया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि मापी पुस्तिका प्राप्त होने पर सामग्री एवं मास्टर रौल समर्पित कराया जायेगा।

मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तब तक व्यय की गयी राशि रु 232500 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

**26. नगर पंचायत, रामनगर द्वारा बी.आर.जी.एफ. से वर्ष 2011-12 में ली गई योजना में अनियमितता, विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं :**

नगर पंचायत रामनगर द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत 12 योजनाओं का कियान्वयन किया गया। इन योजनाओं के लिए अल्पकालिक निविदा 03/2012-13 आमंत्रित की गई। संचिका के नमूना जांच (विवरण संलग्न) के क्रम में निम्नलिखित अनियमितता पाई गईः-

(1) संलग्न विवरणी के क्रम संख्या 1 में वर्णित योजना के नमूना जांच में पाया गया की MB पर JE द्वारा दिनांक 03.04.13 को मापी की गई जिसे overwriting कर

23.03.13 किया गया जबकी AE द्वारा दिनांक को 10.04.13 को तथा EE द्वारा दिनांक 09.04.13 को हस्ताक्षर किया गया। आगे संवेदक द्वारा कार्य को प्राक्कलित से 0.25% कम करने का एकरारनामा किया परन्तु बिल पारित करते समय 0.25% राशि कम नहीं की गई जिसके कारण अभिकर्त्ता को कुल 969 रू0 अधिक भुगतान किया गया (387568 से 0.25% कम)। यह राशि अभिकर्ता से वसूलनीय है।

(2) कार्य का ससमय निष्पादन न होने से वसूलनीय दण्ड की राशि 51415 रू0 संचिका के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि संवेदको द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि के उपरांत कार्य पूर्ण किया गया। (विवरणी परिशिष्ट– X पर)

कार्य निष्पादन के लिए हुए संवेदक के साथ संविदा के अनुसार नियम–2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कार्य के निर्धारित अवधि से ज्यादा में पूर्ण करने की स्थिति में, संवेदक को 1/2% प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 10% तक प्राक्कलित राशि का दण्ड स्वरूप देय होगा। उपरोक्त नियम के अनुसार संवेदको से नगर पंचायत द्वारा कुल 51415 रू0 दंडस्वरूप नहीं काटा गया। इसे संवेदकों से वसूल की जाय।

(3) बिहार खनन एवं भूतत्व छूट नियम 1972 के नियम 40(10) तथा सरकारी निर्देश के अनुसार संवेदक को Quarry से सामग्री लाने की स्थिति में प्रपत्र M तथा N भुगतान हेतु जमा करना है।

नगर पंचायत, रामनगर में प्रस्तुत संचिका की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया की संवेदको द्वारा सामग्री का क्रय तथा उसका उपयोग कार्यो पर किया गया तथा कुल 555499 रू0 माल ढूलाई भाड़ा के रूप में संवेदकों को भुगतान किया गया जिसका विवरण संलग्न है।

संलग्न सूची के अनुसार लगाये गये सामग्री के समर्थन में कोई दस्तावेज संचिका में नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि अधिक राशि का भुगतान संवेदक से कर ली जायेगी तथा खनिज की ढुलाई के संबंध में अंकेक्षण टिप्पणी को आगे बिल पारित करते समय ध्यान में रखा जायेगा तथा संवेदक से संबंधित प्रपत्र माँगी जायेगी।

**27. नगर निधि मद से कार्यान्वित योजना में अनियमितताएँ**

सामान्य रोकड़बही 2011–12 एवं 2012–13 के नमूना जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा योजना की पंजी का संधारण नहीं किया गया था, परन्तु रोकड़बही के अनुसार कुल 27 योजनाओं पर कार्यान्वयन कराया गया था, जिसमें सभी योजनाओं में अन्तिम भुगतान कर दिया गया था।

कुल 27 योजनाओं में 2012–13 तक कुल रू1381569/– का व्यय किया गया था। (विवरणी परिशिष्ट– XI पर)

**अंकेक्षण टिप्पणीः–**

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा नगर निकायों में स्पष्ट निर्देश था कि निकायों में योजना का कार्यान्वयन केवल संवेदक के द्वारा निविदा के माध्यम से ही कराना था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा कार्य विभागीय कराया गया था। नगर निधि मद